(5)

संख्या–119 बीपी/35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 20 मई, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में शासनादेश संख्या–480(1)/35–आ–1/2013, दिनांक 07 मार्च, 2013 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन Restoring capacities of canals, repairs, renovation and remodelling of canals में केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित निम्न परियोजनाओं को उनके सामने इंगित लागत, जिसका कुल योग रू. 7890.15 लाख (जिसमें मनरेगा अंश रू 1151.46 लाख तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू 6738.69 लाख है), की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू 6738.69 लाख की धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में रू 2.10 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्या–916(1)/35–आ–1/2013, दिनांक 05 जून, 2013 के माध्यम से रू 6736.59 लाख की धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू 1587.16 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर रू 1589.26 लाख की धनराशि का व्यय हुआ। अतः परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये पूर्व में व्यय धनराशि को समायोजित करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अवशेष देय रू 5149.43 लाख (रूपये इक्यावन करोड़ उन्चास लाख तैतालिस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(रू. लाख में)

	परियोजना का नाम	कुल लागत	कुल में		31 मार्च, 2014 तक एसीए के रूप में व्यय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
			अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	मनरेगा अंश		
1	Lining and restoration of Sumerpur Branch.	498.06	423.35	74.71	59.89	363.46
2	Restoration and lining of Hamirpur Branch system.	1931.27	1641.58	289.69	225.78	1415.80
3	Restoration and lining of Jalalpur and Islampur Branch system.	880.70	748.59	132.11	148.20	600.39

	परियोजना का नाम	कुल लागत	कुल में		31 मार्च, 2014 तक एसीए के रूप में व्यय धनराशि	अवमुक्त धनराशि
			अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	मनरेगा अंश		
4	Lining and restoration of Arjun Canal	1213.44	1031.42	182.02	175.20	856.22
5	Lining and restoration of Urmil Canal.	476.77	405.25	71.52	175.20	230.05
6	Lining and restoration of Kabrai Canal.	422.89	359.46	63.43	150.20	209.26
7	Lining and restoration of Chandrawal Canal.	495.57	421.23	74.34	100.20	321.03
8	Restoration and lining of Ranirpur Branch system.	747.24	635.15	112.09	85.20	549.95
9	Restoration of Payasvani Canal system	285.00	242.25	42.75	6.25	236.00
10	Restoration of canal system Khapatiha, Kotara, Khambha, Khandeha, Garwan, Katrakhamba Tank & Kharsana weir.	297.58	252.94	44.64	212.94	40.00
11	Restoration and lining of Kartal canal system.	641.63	577.47	64.16	250.20	327.27
	Total	**7890.15**	**6738.69**	**1151.46**	**1589.26**	**5149.43**

1— संदर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2— मनरेगा से अपेक्षित धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3— इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत में सम्मिलित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने शेष नहीं रह जाती है। कार्य को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4— राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2014 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2— स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013—14 के बजट के अनुदान संख्या—40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—4575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—04—बुन्देलखण्ड

की विशेष योजनाएं–79–नहरों की लाइनिंग तथा पुनर्स्थापना का कार्य–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–1–795/दस–2014–231/ 201 दिनॉक 14 मार्च, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुकम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 119 BPC/35–1–2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, सिंचाई ।
4– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सिंचाई विभाग
5– प्रमुख सचिव, वित्त।
6– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7– मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूटधाम।
8– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
10– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
11– गार्ड फाईल।
12– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
13– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।